

कार्यालय कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, सीगा

कार्यालय आदेश

विहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं विहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के तहत विभागीय अधिसूचना सं०-1378 दिनांक-17.12.2021 एवं विभागीय पत्रांक-33 दिनांक-18.01.2022 के द्वारा राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध मध्य विद्यालय 30 वि० संग्राम फंड में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबोधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आस्थाग कोटि	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1		3	4	5	6	7	8
1	अरुण सिंह यादव	जयराज यादव	गौसपुर (दक्करी) गाजीपुर (बि०प्र०)	31	UR	30.08.1995	30 वि० संग्राम फंड

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रेमाणिक छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्णित स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को देहज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

ज्ञापक 2/5 / सीगा, दिनांक 28/05/2022

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रमुख शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के Nic के Website पर Upload करना चाहेंगे।

योगदान हेतु विज्ञापन

कार्यालय पदाधिकारी

सह-सचिव

सचिव

कार्यपालक पदाधिकारी (पं०स०)
(नियोजन इकाई - सीगा)

कार्यपालक पदाधिकारी (पं०स०)
(नियोजन इकाई - सीगा)